भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-207

उत्तर देने की तारीख-20/07/2026

सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार

†207. **श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अधिगम परिणामों और शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का डिजिटल शिक्षा और स्कूल अवसंरचना के लिए धन आवंटन बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेष रूप से बालिकाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के बीच स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत समग्र शिक्षा योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें पूर्व-विद्यालय से कक्षा-12 तक के सभी पहलू शामिल है। यह योजना स्कूली शिक्षा को एक निरंतरता के रूप में मानती है और यह सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 का सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है कि सभी बच्चों को समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो जो उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखे और उन्हें अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाए।

समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रत्येक स्कूल को अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए समग्र

स्कूल अनुदान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए सहायता, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के लिए सहायता, टिंकरिंग लैब्स, आईसीटी और डिजिटल पहल, स्कूल नेतृत्व विकास कार्यक्रम, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण, नए शैक्षणिक और पाठ्यचर्या संरचना की शुरुआत, निपुण भारत पहल, ईसीसीई सुविधाओं सहित बाल-मित्र और समावेशी कक्षाएं, स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) और समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों को सुदृढ करना और एनसीएफ के अनुरूप अनुभवात्मक और योग्यता आधारित शिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) स्कूलों को एनईपी 2020 के आदर्श स्कूलों के रूप में स्थापित किया जा रहा है और उनसे अन्य स्कूलों के लिए अनुकरणीय बनने की अपेक्षा है।

भारत सरकार समय-समय पर देश भर में अधिगम और शिक्षा परिणामों को मापने के लिए बड़े पैमाने पर मूल्यांकन करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों (क्रमशः कक्षा 3, 6 और 9) के अंत में छात्रों के बीच दक्षताओं के विकास में मूलभूत प्रदर्शन को समझने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में दिसंबर, 2024 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख, एनसीईआरटी द्वारा परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 किया गया था।

विभाग ने डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों की तैयारी को मजबूत करने के लिए निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय पहल) को भी दीक्षा पर एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया है, जिसमें डिजिटल शिक्षाशास्त्र, आईसीटी उपकरणों और प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षा के उपयोग पर मॉड्यूल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डीआईईटी, बीआरसी और सीआरसी डिजिटल शिक्षा के लिए शिक्षकों की तैयारी को सुदृढ करने के लिए संसाधन सामग्री, डिजिटल सामग्री, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाओं का विकास करते हैं।

(ग): केंद्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ करने के लिए शौचालयों, स्वच्छ पेयजल, बिजली, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं जैसी मूलभूत संरचनागत सुविधाओं के निर्माण और संवर्धन के लिए

तथा शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाईज) डेटाबेस से निर्धारित उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकता तथा कमियों के आधार पर कक्षा 6 से 11 तक के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना के लिए वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) प्रस्तावों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है तथा योजना के कार्यक्रम और वित्तीय मानदंडों, पहले स्वीकृत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति एवं बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परामर्श से विभाग में परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(घ): समग्र शिक्षा के अंतर्गत, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए एक समर्पित समावेशी शिक्षा घटक है जैसे कि कक्षा 6 से 12 तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) आवासीय विद्यालय, वंचित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित लड़कियों के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) से संबंधित लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) योजनाओं के माध्यम से संबोधित किया जाता है, परिवहन भत्ता प्रदान किया जाता है तथा नामांकन और प्रतिधारण अभियान चलाया जाता है।

स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए आयु-उपयुक्त प्रवेश हेतु विशेष प्रशिक्षण और बड़े बच्चों के लिए आवासीय एवं गैर-आवासीय प्रशिक्षण, मौसमी छात्रावास/आवासीय शिविर, कार्यस्थलों पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र, परिवहन/मार्गरक्षण सुविधा आदि को भी स्कूल से बाहर के बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के तहत, एसईडीजी के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफार्म प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 निजी-गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों को 25% सीटें प्रदान करने का प्रावधान करती है।

इसके अतिरिक्त सरकार राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उन छात्रों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 3.5 लाख रूपए से कम है, कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रूपए प्रति वर्ष की मेघा छात्रवृत्ति प्रदान करती है ताकि एसईडीजीएस के बच्चों को माध्यमिक स्तर तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता मिल सके।
